रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1975/आषाढ़ 28, 1897
No. 204] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1975/ASADHA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFARS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July 1975

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), and in supersession of all the existing rules and orders on the subject, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Border Security Force (Subordinate Officers and Under Officers) Promotion and Seniority Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Sub-Sector" includes the Battalions, Units and Establishments under a Deputy Inspector General.

(b) "Sector" includes all Sub-Sectors, Units and Establishments under an Inspector-General.

(c) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Border Security Force Act, 1968 have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Application of rules.**—These rules shall apply to the Subordinate Officers, Under-officers and all other enrolled persons of the Border Security Force.

4. **Basis of Promotion.**—Promotion to the members of the Force to whom these rules apply shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

5. **Pre-promotion course.**—(1) Subject to the provisions of rule 21, every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass a pre-promotion course referred to in sub-rule (3) or such other examinations as may be specified by the Director General, from time to time :

Provided that if the competent authority is satisfied that due to exigencies of service or other reasons, any such member is not able to pass the pre-promotion course, he may, with the prior approval of the next superior authority, be promoted but he shall be required to pass the next available pre-promotion course failing which he may be reverted.

(2) For the purposes of these rules, the authority specified in column (2) of the Table below shall be the competent authority in respect of the promotions mentioned in the corresponding entry in column (1) thereof :

TABLE

(1)	(2)
Promotion of Constable to L/Nk. L/Nk to Naik and Naik to Head-Constable.	Commandant.
Promotion of Head-Constable to Sub-Inspector (Platoon Commander).	Deputy Inspector General.
Promotion of Sub-Inspector to Subedar (Inspector/ Company 2 I/C).	Inspector General.
Technical Personnel upto and including the rank of an Inspector.	Authority as may be specified by the Director General.

(3) The course specified in column (2) of the Table below shall be the pre-promotion course referred to in sub-rule (1) for the promotions referred to in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

(1)	(2)
(a) Constable to Lance Naik . . .	Pre-promotion course organised in the Battalion on the lines specified by the Directorate of Training.
(b) Lance Naik to Naik	Junior Section Leaders' Course.
(c) Naik to Head Constable.	Section Leaders' Course.
(d) Head-Constable to Sub-Inspector . .	Platoon Commanders' Course.
(e) Sub-Inspector to Subedar (Inspector) .	Junior Leaders' Course.

6. **Maintenance of seniority list of Constables, Lance Naiks, Naiks and Head-Constables.**—Upto and including the rank of a Head-Constable, seniority lists shall be maintained Battalion-wise or Institution-wise or Unit-wise and Inter-Battalion, Inter-Unit and Inter-Institution transfers, in these ranks, shall be kept to the minimum except when such transfers are necessary in view of exigencies of operations.

7. **List of seniority of Sub-Inspectors.**—The list of seniority of Sub-Inspectors of the Sub-Sector shall be maintained by the Deputy Inspector General :

Provided that in respect of persons working in the Border Security Force Academy, Tekanpur, Border Security Force Training Centre and School, Hazaribagh, Central School of Weapons and Tactics, Indore and all Battalions in the Headquarters Reserve and Artillery Regiment, such list shall be maintained by the Commandant, Border Security Force Academy, Tekanpur, and all such institutions and Battalions shall, for the purposes of this rule, be construed as one sub-sector.

8. **List of seniority of Subedar (Inspectors).**—The list of seniority of Subedars (Inspectors) of the Sector shall be maintained by the Inspector General :

Provided that in respect of persons working in the Border Security Force Academy. Tekanpur, Border Security Force Training Centre and School, Hazaribagh, Central School of Weapons and Tactics, Indore, and all Battalions in the Headquarters Reserve and Artillery Regiment, such list shall be maintained by the Commandant, Border Security Force Academy, Tekanpur, and all such institutions and Battalions shall, for the purposes of this rule, be construed as one sector.

9. **Basis of seniority.**—Seniority in any rank shall be determined on the basis of continuous regular appointment in that rank.

10. **Promotion to short-term vacancies.**—(a) Promotions to short-term vacancies may be made on an officiating basis if the exigencies of service so require.

(b) Such promotions may be made from amongst persons who have been approved for promotion, by the competent authority, mentioned in rule 11.

11. **Authorities to approve officiating promotions.**—The authorities mentioned in column (1) of the Table below shall be the competent authority to make officiating promotions in short-term vacancies in the ranks mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof :

TABLE

(1)	(2)
(a) Commandants of Battalions and similar institutions.	(1) Lance Naik, Lance Naik to Naik, Naik to Head-Constable. (2) Head-Constable to Sub-Inspector, subject to the concurrence of the Deputy Inspector General concerned. (3) Sub-Inspector to Inspector, subject to the concurrence of the Inspector General concerned.
(b) Commandants of the Border Security Force Academy, Takanpur, Border Security Force Training Centre and School, Hazaribagh, Central School of Weapons and Tactics, Indore and Artillery Regiment.	Upto and including the rank of Inspector.
(c) Deputy Inspector General . . .	Upto and including the rank of Sub Inspector.
(d) Inspector General and the Director General.	Upto and including the rank of Inspector.

12. **Maintenance of list of persons approved for promotion in different ranks.**—(1) Subject to the provisions of rule 21, separate list of candidates approved for promotion in each rank as specified in the Table below shall be maintained in accordance with the provisions hereinafter containtd and promotions shall be made from such lists.

(1)	(2)
List 'A'	List of names of Constables fit for promotion to Lance Naiks.
List 'B'	List of names of Lance Naiks fit for promotion to Naiks.
List 'C'	List of names of Naiks fit for promotion to Head-Constables.
List 'D'	List of names of Head-Constables fit for promotion to Sub-Inspectors (Platoon Commanders).
List 'E'	List of names of Sub-Inspectors (Platoon Commanders) fit for promotion to Subedars (Inspectors/Company 2 I/C).

(2) The list 'A' to 'C' and copies of lists 'D' and 'E' specified in column (1) of the Table above shall be maintained in each Battalion or Unit.

13. **Maintenance of Promotion Lists.**—(1) The Commandant shall make entries in lists 'A' to 'C', the Deputy Inspector General in list 'D' and the Inspector General in list 'E'. Entries in lists 'D' and 'E' in respect of units directly under the Director General shall be made by the Directorate General.

(2) Consolidated gradation lists of Head-Constables approved for inclusion in list 'D' and of Sub-Inspectors (Platoon Commanders) approved for inclusion in list 'E' shall be maintained at the Directorate General, Border Security Force.

14. **Procedure of selecting Constables for List 'A' and promotion from Constable to Lance Naik.**—(1) Once in every year, the Commandant shall obtain nominations from the Company Commanders and other Sub-Unit Commanders, of Constables as are qualified for promotion to the rank of L/Naik and are considered suitable for being brought on List 'A'.

(2) All such nominees shall have—

(i) Completed not less than two years' service as Constables;

(ii) attained such educational standards as may be specified by the Director General.

(3) The Commandant shall constitute a Board consisting of himself or his Second-in-Command, a Deputy Commandant or an Assistant Commandant and a Company Commander, in rotation, who shall assess the nominees in such manner as may be laid down from time to time by the Director General and prepare a list of names to be entered in List 'A', taking into consideration the anticipated vacancies for the year.

15. **Procedure of selecting Lance Naiks for List 'B' and promotion from Lance Naik to Naik.**—(1) Once in every year, the Commandant shall obtain nominations from the Company Commanders and other sub-unit Commanders, of Lance Naiks who are qualified for promotion as Naiks and are considered suitable for being brought on List 'B'.

(2) All such nominees shall have—

(i) completed not less than two years' service as Lance Naiks;

(ii) attained such educational standards as may be specified by the Director General.

(3) The Commandant shall constitute a Board consisting of himself or his Second-in-Command, a Deputy Commandant or an Assistant Commandant and a Company Commander, in rotation, who shall assess all the nominees in such manner as may be laid down from time to time by Director General and prepare a list of names to be entered in List 'B', taking into consideration the anticipated vacancies for the year.

16. **Procedure of selecting Naiks for List 'C' and promotion from Naik to Head Constable.**—(1) Once in every year, the Commandant shall obtain nominations from the Company Commanders and other sub-unit Commanders, of Naiks who are qualified for promotion as Head-Constables and are considered suitable for being brought on List 'C'.

(2) All such nominees shall have—

(i) completed not less than two years' service as Naiks;

(ii) attained such educational standards as may be specified by the Director General.

(3) The Commandant shall constitute a Board consisting of himself or his Second-in-Command, a Deputy Commandant or an Assistant Commandant and a Company Commander, in rotation, who shall assess all the nominees in such manner as may be laid down from time to time by Director General and prepare a list of names to be entered in List 'C', taking into consideration the anticipated vacancies for the year.

17. **Procedure of selecting Head-Constables for List 'D' and promotion from Head-Constable to Sub-Inspector (Platoon Commander).**—(1) (a) Once in every year, the Commandant shall obtain nominations from the Company Commanders and other Sub-Unit Commanders, of such Head-Constables as are qualified for promotion to the rank of Sub-Inspector (Platoon Commander) and are considered suitable for the same.

(b) All such nominees shall have—

(i) completed not less than three years' service as Head-Constables;

(ii) attained such educational standards as may be specified by the Director General.

(c) The Commandant shall consider all such nominations and others whom he considers suitable and send the nominations to the Deputy Inspector General giving his reasons in each case for his recommendations.

(2) (a) The Deputy Inspector General shall constitute a Board consisting of himself and two Commandants:

Provided that in respect of the Sub-Sector referred to in the proviso to rule 7, the Board shall consist of three members nominated by the Director General.

(b) The Board shall review the service records of the nominees and take into consideration their performance in the courses attended by them.

(c) The Board shall assess all such nominees in such manner as may be laid down from time to time by the Director General.

(3) The Board shall prepare a list of names to be entered in List 'D', taking into consideration the anticipated vacancies for the year.

(4) A gradation list of Head-Constables approved for inclusion in List 'D' shall be maintained by the Inspector General.

18. **Procedure of selecting Sub-Inspectors (Platoon Commanders) for List 'E' and promotion from Sub-Inspector (Platoon Commander) to Subedar (Inspector/Company 2 I/C).**—(1) Once in every year, the Commandants shall recommend to the Inspector General through the Deputy Inspectors General, names of such Sub-Inspectors (Platoon Commanders) whom they consider suitable for promotion to the rank of Subedar (Inspector/Company 2 I/C).

(2) All such nominees shall have—

(i) completed not less than three years' service as Sub-Inspectors;

(ii) attained such educational standards as may be specified by the Director General.

(3) The Inspector General shall constitute a Board consisting of himself and all the Deputy Inspectors General under him and at least one Commandant:

Provided that in respect of Sector referred to in the Proviso to rule 8, the Board shall consist of one Deputy Inspector General nominated by the Director General, the Commandants of the Border Security Force Academy, Tekanpur, Border Security Force Training Centre and School, Hazaribagh, Central School of Weapons and Tactics, Indore, and one Commandant of a Battalion in the Headquarters Reserve and shall be presided over by such officer as may be nominated by the Director General.

(4) The Board shall review the service records of the nominees and take into consideration their performance in the courses attended by them.

(5) The Board shall assess all such nominees in such manner as may be laid down from time to time by Director General.

(6) The Board shall prepare a list of names to be entered in List 'E', taking into consideration the anticipated vacancies for the year.

19. **Procedure for preparation of promotion lists.**—(1) The names of nominees found fit for inclusion in the afore-mentioned promotion lists shall be arranged by the Board concerned in the order of seniority:

Provided that any junior person who, in the opinion of the Board, is of exceptional merit, may for reasons to be recorded in writing, be assigned a position in the list higher than that of others senior to him.

(2) The names of such persons as are approved by a Board for inclusion in a promotion list shall be placed below the names of those persons who had been approved by the previous Boards.

20. **Accelerated promotions.**—The competent authority, may with the prior approval of the next superior authority, promote out-of-turn, to the next higher rank, any person who is considered to be of exceptional merit:

Provided that the number of persons so promoted shall not exceed ten per cent of the total number of vacancies in each rank in any one year.

21. **Promotion of Technical Personnel.**—The promotion of such personnel, upto and including the rank of Inspector, as may be designated as technical, by the Director General, from time to time, shall also be governed by the foregoing rules with the exception that—

(a) such technical personnel shall be required to pass such prescribed trade tests in their respective trades, instead of the pre-promotion courses mentioned

in sub-rule (3) of rule 5, for promotion to such higher ranks as may be specified by the Director General;

(b) promotion Boards in respect of technical personnel shall be constituted by the Director General and the promotion lists for different ranks shall be maintained by such authorities as may be specified by the Director General from time to time.

[No. 6(3)/74-CLO/BSF(Pers.I)]

S. HAMID, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1975

का० आ० 419 (अ).—सीमा-सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर सभी विद्यमान नियमों और आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (अधीनस्थ अधिकारी और अवर अधिकारी) प्रोन्नति और ज्येष्ठता नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "उप सैक्टर" के अन्तर्गत उप महानिरीक्षक के अधीन बटालियन, एकक और स्थापन भी हैं;

(ख) "सैक्टर" के अन्तर्गत महानिरीक्षक के अधीन सभी उप सैक्टर, एकक और स्थापन भी हैं;

(ग) इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. **नियमों का लागू होना.**—ये नियम अधीनस्थ अधिकारियों, अवर अधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल के सभी अन्य अभ्यावेषित व्यक्तियों को लागू होंगे।

4. **प्रोन्नति का आधार.**—बल के सदस्यों को प्रोन्नति जिनको कि ये नियम लागू होते हैं, ज्येष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए सभी बातों में गुणागुण और उपयुक्तता पर आधारित होगी।

5. **प्रोन्नति पूर्व का अनुक्रम.**—(1) नियम 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बल के प्रत्येक ऐसे सदस्य से, किसी प्रोन्नति के पूर्व, उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व के पाठ्यक्रम या ऐसी अन्य परीक्षाएं जो महा निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी:

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सेवा की सम्यक् अभ्यावश्यकताओं या अन्य कारणों से कोई ऐसा सदस्य प्रोन्नति पूर्व का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के योग्य नहीं

है तो वह अगले वरिष्ठ प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रोन्नत किया जा सकेगा, किन्तु उस से अगले उपलब्ध प्रोन्नति पूर्व पाठ्य क्रम को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी जिस के न हो सकने पर वह प्रतिवर्तित किया जा सकेगा ।

(2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उसके स्तंभ (1) में तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में उल्लिखित प्रोन्नतियों के बारे में सक्षम प्राधिकारी होगा ।

सारणी

(1)	(2)
सिपाही से लांस नाइक, लांस नाइक से नाइक और नाइक से मुख्य सिपाही के पद पर प्रोन्नति	कमाण्डेंट
मुख्य सिपाही से दरोगा (प्लाटून कमाण्डर) के पद पर प्रोन्नति ।	उप महानिरीक्षक
दरोगा से सूबेदार (निरीक्षक / कम्पनी 2 प्रभारी) के पद पर प्रोन्नति ।	महानिरीक्षक
तकनीकी कार्मिकों की निरीक्षक की पंक्ति तक और उसको सम्मिलित करते हुए ।	प्राधिकारी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रोन्नतियों के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व का पाठ्यक्रम होगा ।

सारणी

(1)	(2)
(क) सिपाही से लांस नाइक . .	प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति पर बटालियन में संचालित प्रोन्नति पूर्व का पाठ्यक्रम ।
(ख) लांस नाइक से नाइक . .	कनिष्ठ अनुभाग लीडर का पाठ्यक्रम
(ग) नाइक से मुख्य सिपाही . .	अनुभाग लीडरों का पाठ्यक्रम
(घ) मुख्य सिपाही से दरोगा . .	प्लाटून कमाण्डरों का पाठ्यक्रम
(ङ) दरोगा से सूबेदार (निरीक्षक) .	कनिष्ठ लीडरों का पाठ्यक्रम

6. **सिपाहियों, लांस नाइकों, नाइकों और मुख्य सिपाहियों की ज्येष्ठता सूची का रखा जाना.**—मुख्य सिपाही की पंक्ति तक और उसको सम्मिलित करते हुए ज्येष्ठता सूचियां बटालियन क्रम या संस्था क्रम या एकक क्रम से रखी जाएंगी तथा इन पंक्तियों में अन्तर बटालियन, अन्तर एकक

और अंतर संस्था स्थानान्तरण न्यूनतम रखे जाएंगे, सिवाय तब के जब कि ऐसे स्थानान्तरण संक्रियाओं की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक हों।

7. **दरोगाओं की ज्येष्ठता सूची.**—उप सेक्टर के दरोगाओं की ज्येष्ठता सूची उप-महा-निरीक्षक द्वारा रखी जाएगी :

परन्तु सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय, हजारीबाग, केन्द्रीय आयुद्ध और सामरिकी विद्यालय, इंदौर और मुख्यालय रिजर्व तथा तोपखाना रेजीमेंट की सभी बटालियनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में, ऐसी सूची कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर द्वारा रखी जाएगी और ऐसी सभी संस्थाओं और बटालियनों का, इस नियम के प्रयोजनों के लिए, एक सेक्टर के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

8. **सूबेदारों (निरीक्षकों) की ज्येष्ठता की सूची.**—सेक्टर के सूबेदारों (निरीक्षकों) की ज्येष्ठता की सूची महा-निरीक्षक द्वारा रखी जाएगी :

परन्तु सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय, हजारीबाग, केन्द्रीय आयुद्ध और सामरिकी विद्यालय, इंदौर और मुख्यालय रिजर्व और तोपखाना रेजिमेंट की सभी बटालियनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में ऐसी सूची कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर द्वारा रखी जाएगी और ऐसी सभी संस्थाओं और बटालियनों का अर्थ, इन नियमों के प्रयोजनार्थ एक सेक्टर के रूप में किया जाएगा।

9. **ज्येष्ठता का आधार.**—किसी पंक्ति में ज्येष्ठता उस पंक्ति में निरंतर नियमित नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जाएगी।

10. **अल्पकालिक रिक्तियों में प्रोन्नति.**—(क) अल्पकालिक रिक्तियों में प्रोन्नतियां स्थानापन्न आधार पर की जा सकेंगी, यदि सेवा की आवश्यकताओं में ऐसा अपेक्षित हो।

(ख) ऐसी प्रोन्नतियां उन व्यक्तियों में से की जा सकेंगी जो नियम 11 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रोन्नति के लिए अनुमोदित कर दिए गए हैं।

11. **प्राधिकारी जो स्थानापन्न प्रोन्नतियों का अनुमोदन करेंगे.**—नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित प्राधिकारी उस के स्तंभ (2) में तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में उल्लिखित पदों में अल्पकालिक रिक्तियों में स्थानापन्न प्रोन्नति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे :—

सारणी

(1)	(2)
(क) बटालियनों के कमाण्डेंट और समरूप संस्थाएं।	(1) लांस नाइक, लांस नाइक से नाइक और नाइक से मुख्य सिपाही के पद के लिए।

(1)	(2)
	(2) संबंधित उप महानिरीक्षक की सहमति के अधीन रहते हुए, मुख्य सिपाही से दरोगा के पद के लिए ।
	(3) संबंधित निरीक्षक की सहमति के अधीन रहते हुए, दरोगा ।
(ख) सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय, हजारी बाग, केन्द्रीय आयुध और सामरिकी विद्यालय, इंदौर और तोपखाना रेजीमेंट के कमाण्डेंट ।	निरीक्षक के पद तक और उसको सम्मिलित करते हुए ।
(ग) उप महानिरीक्षक । . .	दरोगा के पद तक और उसको सम्मिलित करते हुए ।
(घ) महानिरीक्षक और महानिदेशक .	निरीक्षक के पद तक और उसको सम्मिलित करते हुए ।

12. **विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए अनुमोदित व्यक्तियों की सूचियों का रखा जाना**.—(1) नियम 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक पद में प्रोन्नति के लिए अनुमोदित अभ्यर्थियों की पृथक् सूची, इस में इस के पश्चात् अन्तर्लिष्ट उपबंधों के अनुसार रखी जाएगी और ऐसी सूचियों में से प्रोन्नतियां की जाएंगी।

(1)	(2)
सूची 'क'	लांस नाइकों के रूप में प्रोन्नति के लिए योग्य सिपाहियों के नामों की सूची ।
सूची 'ख'	नाइकों के रूप में प्रोन्नति के लिए योग्य लांस नाइक के नामों की सूची ।
सूची 'ग'	मुख्य सिपाहियों के रूप में प्रोन्नति के लिए योग्य नाइकों के नामों की सूची ।
सूची 'घ'	दरोगाओं (प्लाटून कमाण्डरों) के रूप में प्रोन्नति के लिए योग्य मुख्य सिपाहियों के नामों की सूची ।
सूची 'ङ'	सूबेदारों (निरीक्षकों / कम्पनी 2 प्रभारी) के रूप में प्रोन्नति के लिए योग्य दरोगाओं (प्लाटून कमाण्डरों) के नामों की सूची ।

(2) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट 'क' से 'ग' तक की सूचियां और 'घ' और 'ङ' की सूचियों की प्रतियां प्रत्येक बटालियन या एकक में रखी जाएंगी ।

13. **प्रोन्नति सूचियों का रखा जाना**.—(1) कमाण्डेंट 'क' से 'ग' तक की सूचियों में उप महा-निरीक्षक 'घ' सूची में और महानिरीक्षक 'ङ' सूची में प्रविष्टियां करेगा । सीधे महा निदेशक के अधीन एककों के बारे में 'घ' और 'ङ' सूचियों में प्रविष्टियां महानिदेशक द्वारा की जाएगी ।

(2) सूची 'घ' में सम्मिलित की जाने के लिए अनुमोदित मुख्य सिपाहियों की और सूची 'ङ' में सम्मिलित की जाने के लिए दरोगाओं (प्लाटून कमांडरों) की समेकित श्रेणीकरण सूचियां महा निदेशालय सीमा सुरक्षा बल में रखी जाएंगी ।

14. **सूची 'क' के लिए सिपाहियों के चयन और सिपाही से लांस नाइक के रूप में प्रोन्नति की प्रक्रिया**.—(1) प्रत्येक वर्ष में एक बार कमाण्डेंट कम्पनी कमाण्डरों और अन्य उप एकक कमाण्डरों से, उन सिपाहियों के जो लांस नाइक की पंक्ति में प्रोन्नति के लिए अर्हित हैं और सूची 'क' पर लाए जाने के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं नाम निर्देशन प्राप्त करेगा ।

(2) ऐसे सभी नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों ने,—

(i) सिपाहियों के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा पूरी कर ली होगी ;

(ii) ऐसे शैक्षणिक स्तर मान प्राप्त कर लिए होंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(3) कमाण्डेंट, चक्रानुक्रम से स्वयं को या उस के सेकिण्ड इन कमाण्ड, उप कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट और कम्पनी कमाण्डर को मिलाकर बोर्ड का गठन करेगा, जो नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसी रीति से निर्धारित करेगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए और वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, सूची 'क' में प्रविष्ट करने के लिए नामों की सूची तैयार करेगा ।

15. **सूची 'ख' के लिए लांस नाइकों का चयन करने और लांस नाइक से नाइक के रूप में प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया**.—(क) प्रत्येक वर्ष में एक बार, कमाण्डट, कम्पनी कमाण्डर और अन्य उप एकक कमाण्डरों से लांस नाइकों के, जो नाइक के रूप में प्रोन्नति के लिए अर्हित हैं और सूची 'ख' पर लाए जाने के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं, नाम निर्देशन प्राप्त करेगा ।

(2) ऐसे सभी नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों ने,—

(i) लांस नाइक के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा पुरी कर ली होगी;

(ii) ऐसे शैक्षणिक स्तरमान प्राप्त कर लिए होंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) कमाण्डेंट, चक्रानुक्रम से स्वयं को या उस के सेकिण्ड-इन-कमाण्ड, उप कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट और कम्पनी कमाण्डर को मिलाकर बोर्ड का गठन करेगा जो सभी नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसी रीति से निर्धारित करेगा जो महा-निदेशक द्वारा समय-समय पर

अधिकथित की जाए और वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, सूची 'ख' में प्रविष्ट किए जाने के लिए नामों की सूची तैयार करेगा ।

16. **सूची 'ग' के लिए नाइकों का चयन करने और नाइक से मुख्य सिपाही के रूप में प्रोन्नति करने के लिए प्रक्रिया.**—(1) प्रत्येक वर्ष में एक बार, कमाण्डेंट, कम्पनी कमाण्डरों और अन्य उप एकक कमाण्डरों से नाइकों के, जो मुख्य सिपाही के रूप में प्रोन्नति के लिए अर्हित हैं और सूची 'ग' पर लाए जाने के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं, नाम निर्देशन प्राप्त करेगा ।

(2) ऐसे सभी नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों ने,--

(i) नाइक के रूप में दो वर्ष से अन्यून सेवा पूरी कर ली होगी ;

(ii) ऐसे शैक्षणिक स्तर मान प्राप्त कर लिए होंगे जो महा-निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ।

(3) कमाण्डेंट, चक्रानुक्रम से, स्वयं को या उस के सैकिण्ड-इन-कमाण्ड, उप कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट और कम्पनी कमाण्डर को मिला कर बोर्ड का गठन करेगा, जो सभी नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसी रीति से निर्धारित करेगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए और वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, सूची 'ग' में प्रविष्टि के लिए नामों की सूची तैयार करेगा ।

17. **सूची 'घ' के लिए मुख्य सिपाहियों के चयन और मुख्य सिपाही से दारोगा (प्लाटून कमाण्डर) के रूप में प्रोन्नति की प्रक्रिया.**--(1) (क) प्रत्येक वर्ष में एक बार, कमाण्डेंट, कंम्पनी कमाण्डरों में ऐसे मुख्य सिपाहियों के जो दारोगा (प्लाटून कमाण्डर) के पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हित हैं और उस के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं, नामनिर्देशन प्राप्त करेगा ।

(ख) ऐसे सभी नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों ने,--

(i) मुख्य सिपाही के रूप में तीन वर्ष से अन्यून सेवा पूरी कर ली होगी ;

(ii) ऐसे शैक्षणिक स्तरमान प्राप्त कर लिए होंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(ग) कमाण्डेंट ऐसे सभी नामनिर्देशनों पर और अन्यों पर जिनको वह उपयुक्त समझता है, विचार करेगा और प्रत्येक दशा में अपने द्वारा सिफारिश के लिए कारण देते हुए उप महानिरीक्षक को नाम निर्देशन भेजेगा ।

(2) (क) उप-महानिरीक्षक स्वयं को और दो कमाण्डेंटों को मिलाकर बोर्ड का गठन करेगा:

परन्तु नियम 7 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट उप सैक्टर के बारे में, बोर्ड महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(ख) बोर्ड, नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सेवा अभिलेखों का पुनर्विलोकन करेगा और उन के द्वारा पूरे किए गए पाठ्यक्रमों में उनके कार्यों पर विचार करेगा ।

(ग) बोर्ड ऐसे सभी नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसी रीति से निर्धारित करेगा जो समय-समय पर महा-निदेशक द्वारा अधिकथित की जाए।

(3) बोर्ड वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, सूची 'घ' में प्रविष्ट किए जाने के लिए नामों की सूची तैयार करेगा।

(4) सूची 'घ' में सम्मिलित किए जाने के लिए अनुमोदित मुख्य सिपाहियों की पद-क्रम सूची महानिरीक्षक द्वारा रखी जाएगी।

18. **सूची 'ङ' के लिए दारोगाओं (प्लाटून कमाण्डरों) के चयन और दारोगा (प्लाटून कमाण्डर) से सूबेदार (निरीक्षक/कम्पनी 2 प्रभारी) के रूप में प्रोन्नति की प्रक्रिया.**—(1) प्रत्येक वर्ष में एक बार कमाण्डेंट, उप-महानिरीक्षक की मार्फत महा-निरीक्षक को ऐसे दारोगाओं (प्लाटून कमाण्डरों) के नामों की सिफारिश करेगा, जिन को वह सूबेदार (निरीक्षक/कम्पनी 2 प्रभारी) के पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त समझता है।

(2) ऐसे सभी नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों ने,—

(i) दारोगाओं के रूप में तीन वर्ष से अन्यून सेवा पूरी कर ली होगी;

(ii) ऐसे शैक्षणिक स्तरमान प्राप्त कर लिए होंगे जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) महानिरीक्षक स्वयं को और उस के अधीन सभी उप-महानिरीक्षकों और कम से कम एक कमाण्डेंट को मिलाकर बोर्ड का गठन करेगा :

परन्तु नियम 8 के परन्तुक में निर्दिष्ट सैक्टर के बारे में, बोर्ड महा-निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक उप-महा निरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय, हजारीबाग, केन्द्रीय आयुध और सामरिकी विद्यालय, इंदौर के कमाण्डेंट और मुख्यालय रिजर्व में बटालियन के एक कमाण्डेंट से मिलकर बनेगा और उसकी अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिस को महानिदेशक नाम निर्दिष्ट करे।

(4) बोर्ड नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सेवा अभिलेखों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके द्वारा पूरे किए गए पाठ्यक्रम में उन के कार्य पर विचार करेगा।

(5) बोर्ड ऐसे सभी नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसी रीति से निर्धारित करेगा जो महा-निदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए।

(6) बोर्ड, वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार करते हुए, सूची 'ङ' में प्रविष्ट किए जाने के लिए नामों की सूची तैयार करेगा।

19. **प्रोन्नति सूचियों को तैयार करने की प्रक्रिया.**—(1) पूर्व वर्णित प्रोन्नति सूचियों में सम्मिलित किए जाने के लिए योग्य पाए गए नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों को संबंधित बोर्ड द्वारा ज्येष्ठता के क्रम से रखा जाएगा :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, जो बोर्ड की, राय में, असाधारण गुणागुण वाला है, लिखित रूप में कारण लिपिबद्ध कर के सूची में उससे ज्येष्ठ अन्य व्यक्ति से उच्चतर स्थिति समानुदेशित की जाएगी।

(2) ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्हें प्रोन्नति सूची में सम्मिलित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, उन व्यक्तियों के नामों के नीचे रखे जाएंगे जो पूर्ववर्ती बोर्डों द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

20. **त्वरित प्रोन्नतियां**.—सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जो असाधारण गुण वाला समझा जाता है, अगले वरिष्ठ प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से, अगली उच्चतर पंक्ति में पारी के बाहर प्रोन्नत कर सकेगा :

परन्तु इस प्रकार प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी वर्ष में प्रत्येक पंक्ति में की रिक्तियों की कुल संख्या की दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21. **तकनीकी कार्मिकों की प्रोन्नति**.—निरीक्षक की पंक्ति तक और उसको सम्मिलित करते हुए, ऐसे कार्मिकों की जो समय-समय पर महानिदेशक द्वारा तकनीकी अभिहित किए जाएं, प्रोन्नति इस अपवाद के साथ पूर्वगामी नियमों से भी शासित होगी कि—

(क) ऐसे तकनीकी कार्मिकों से ऐसे उच्चतर पंक्तियों में प्रोन्नति के लिए नियम 5 के उप नियम (3) में उल्लिखित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम क्रमों के बजाए, उनकी अपनी क्रमिक ट्रेडों में ऐसे निहित ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ख) तकनीकी कार्मिकों के बारे में प्रोन्नति बोर्डों का गठन महानिदेशक द्वारा किया जाएगा और विभिन्न पदों के लिए प्रोन्नति सूचियां ऐसे प्राधिकारियों द्वारा रखी जाएंगी जिन्हें महानिदेशक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

[सं० 6(3)/74-सी० एल० ओ०/बी० एस० एफ० (कार्मिक 1)]

एस० हामिद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975